Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या 122/18 केम्प ग्राम पंचायत उटारपुरा

वादी *बनाम* प्रतिवादीगण,

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 24/5/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री हीरालाल पुत्र गोमाराम जाति कुमावत निवासी उटारपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम उटारपुरा के खाता संख्या/खसरा नम्बर 428 व 435 में श्री गोमाराम पुत्र गोमाराम जाति कुमावत अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम हीरालाल पुत्र गोमाराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प उटारपुरा में पेश करे। पत्रावली केम्प उटारपुरा में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प उटारपुरा मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम उटारपुरा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 428 व 435 में वादी श्री गोमाराम पुत्र गोमाराम कुमावत निवासी उटारपुरा की जगह वादी का सही नाम हीरालाल पुत्र गोमाराम जाति कुमावत निवासी उटारपुरा दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 24/5/18 को सरे आम कैम्प उटारपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)